13) 32/47

पत्रांकः 30

बिहार सरकार

वित्त(सांस्थिक वित्त)विभाग

ललित भवन, बेली रोड, पटना- 800001
दूरभाष/ फैक्स- 0612-2545652

प्रेषक,

अवधेश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी.

सेवा में,

श्री योगेन्द्र राय,
सरकार के अवर सचिव,
सांस्थिक वित्त विभाग.

पटना, दिनांक : 6.1.15

विषयः– राज्य के निगमों/समितियों/सोसायटीज के लिए गठित सी.एस.आर. समिति/शक्ति प्रत्यायोजन समिति/एच.आर.मैनुअल समिति एवं वैधानिक अनुपालन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक–4747, दि0 13.1.2014 एवं आपके कार्यालय की पत्र सं0 200, दि0 29.12.2014 के आलोक में शक्ति प्रत्यायोजन समिति का प्रतिवेदन संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त (मूल प्रति)

विश्वासभाजन,

6/1/15

(अवधेश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी.

शक्ति प्रत्यायोजन समिति का प्रतिवेदन

योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक–4747 दिनांक–13.01.2014 द्वारा गठित शक्ति प्रत्यायोजन समिति की बैठक दिनांक–13.11.14, 25.11.14 एवं 05.01.2015 को ललित भवन, बेली रोड, पटना स्थित सांख्यिक वित्त कार्यालय में आयोजित हुई जिसमें सभी सदस्य मौजूद थे । समिति ने बिहार सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न निगमों के नियमावली का अवलोकन किया तथा शक्ति प्रत्यायोजन के समान सिद्धांतो की चर्चा की गई । इसके आधार पर निम्न बिन्दु पर सहमति बनी :–

(A) Establishment & Administration

1. **पदो का सृजनः**–पदों का सृजन संबंधी अधिकार सरकार या बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर के स्तर पर ।
2. **नियोक्ता एवं Disciplinary authority:-**निगम के अधीन ग्रुप 'क' एवं 'ख' स्तर के पदाधिकारियों, जिनका पदस्थापन राज्य सरकार के द्वारा होता है, उन्हें छोड़कर ग्रुप 'क' एवं 'ख' स्तर के सभी पदाधिकारियों का नियुक्ति एवं Disciplinary authority प्रबंध निदेशक होगें । ग्रुप 'ग' एवं 'घ' (उन्हें छोड़कर जिनका पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है) के स्तर के पदाधिकारियों के मामले में निगम के अधीन Admn. एवं Estb. के प्रधान Appointing एवं Disciplinary authority होगें ।
3. **अपीलीय प्राधिकारः**– नियुक्ति एवं अनुशासन के मामलों में ग्रुप 'C' एवं 'D' स्तर के कर्मियों का अपीलीय प्राधिकार MD होगे तथा ग्रुप 'A' एवं 'B' स्तर के पदाधिकारियें के लिए अपीलीय प्राधिकार निगम के अध्यक्ष होगें (राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर) ।
4. **Head of the Office**:- निगम के मुख्यालय के लिए प्रशासन के प्रधान Head of the Office तथा क्षेत्रीयों कार्यालयों के लिए Head of the Office MD द्वारा घोषित किए जाऐगें ।
5. **स्थानान्तरण/पदस्थापनः**– सभी स्तर के पदाधिकारियों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण MD द्वारा किया जाएगा ।
6. **सूचना का अधिकारः**– सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निगम के मुख्यालय स्तर पर PIO प्रशासन के प्रमुख होगें । क्षेत्रीय कार्यालय के लिए PIO MD द्वारा नामित किए जाएगें । दोनों स्तर के लिए अपीलीय प्राधिकार MD होगें ।
7. **Grievance Redressal System:-** राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुकूल मुख्यालय स्तर पर प्रशासन के प्रधान नोडल पदाधिकारी नामित होगें और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए MD द्वारा नामित किए जाएगें ।

(B) प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा का निष्पादन

निर्माण कार्यों/सामान कय/ सेवायें आदि लिए जाने के संबंध में निम्न प्रावधान होगें:–

i प्रशासनिक अनुमोदन–प्रशासी विभाग या BOD द्वारा

ii तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति/प्राक्कलन की स्वीकृति/BOQ की स्वीकृति की शक्तिः–निर्माण से जुडे सभी निगमों में तकनीकी अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति की शक्ति लोक निर्माण संहिता के अनुरूप कार्यपालक, अधीक्षण एवं मुख्य अभियंताओं को होगी। अन्य प्रकार के कय एवं सेवाओं के लिए MD द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस हेतु प्राधिकृत किया जाएगा।

iii **निविदा निष्पादन :–सभी निगमों में**

(क) निविदा खोलने की समिति

(ख) तकनीकी मूल्यांकन समिति एवं

(ग) निविदा समिति

ये समितियाँ परियोजना की प्रकृति के अनुसार BOD द्वारा गठित होगी। साथ ही इसमें निविदा के विषयवस्तु के अनुसार आमंत्रित सदस्य MD द्वारा नामित किये जा सकेंगे ।

iv **निविदा की स्वीकृतिः–**

(क) निर्माण कार्य से जुडे निगमों में मुख्य अभियंता के स्तर पर किसी भी राशि तक, यदि प्राक्कलित राशि या SOR तक दर हो ।

(ख) SOR/प्राक्कलित राशि से अधिक और अधिकतम 10% तक MD स्तर पर, किसी भी राशि का।

(ग) SOR से 10% से अधिक की निविदा BOD स्तर पर एवं इसमें एकल निविदा होने की स्थिति में सरकार स्तर से।

(घ) एकल निविदा की स्थिति में मुख्य अभियंता स्तर पर निष्पादित होने वाले निविदा MD स्तर (एक स्तर उपर) तथा MD स्तर पर निष्पादित होने वाले निविदा, BOD स्तर पर।

(C) वित्तीय शक्तियां:–

(i) **कय की शक्ति–** बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए कय हेतु निविदा का निष्पादन खंड (B) के अनुकूल होगे।

(ii) **विपत्रों का भुगतान–** (क) स्वीकृत मामलों में Purchase order/work order/ Agreement के शर्त्तो के अनुकूल यह कार्य MD या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा ।

(ख) Operating Expenses (संचालन व्यय) हेतु MD या MD द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर ।

(D) **<u>जो शक्तियॉं प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यायोजित नहीं है वो सभी BOD में निहित होगें।</u>**

5/1/15	5/1/15	5/1/15
(गंगा कुमार) प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	(संजीवन सिन्हा) प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना, विकास निगम लिमिटेड	(अवधेश कुमार) विशेष कार्य पदाधिकारी वित्त विभाग बिहार सरकार